ईमेल

संख्या:- 30/2016/634/पांच-9-2016-9(127)/12टी0सी0

प्रेषक,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिला अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी
उत्तर प्रदेश।

4-समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधिक्षिका,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9 **लखनऊ दिनांक 19 मई, 2016**

विषय:-प्रदेश के सभी जनपदों में प्रत्येक माह की 09 तारीख को प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में सम्पोषणीय विकास लक्ष्यों (एस0डी0जी0-2030) के अन्तर्गत मातृ मृत्यु दर में कमी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। प्रत्येक गर्भावस्था महत्वपूर्ण है। अत: प्रत्येक गर्भवती महिला को विशेष देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराना हमारा कर्तव्य है। किसी भी गर्भवती महिला के जीवन में अग्रिम चेतावनी के बिना जटिलताएं विकसित हो सकती है, इसलिए उन्हें गर्भावस्था एवं प्रसव के दौरान मृत्यु के खतरो को बचाने के लिए गुणवत्तापरक ए0एन0सी0 सेवाएं प्रदान करना अतिमहत्वपूर्ण है।

प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना एवं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन से मातृ स्वास्थ्य सेवा सूचकों में अपेक्षित सुधार परिलक्षित हुआ है परन्तु गर्भवती महिलाओं का प्रथम त्रैमास में पंजीकरण/प्रथम प्रसव पूर्व जांच का प्रतिशत तथा कम से कम 3 ए0एन0सी0 चेकअप से आच्छादन अपेक्षा से काफी कम है। इस परिदृश्य के दृष्टिगत भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुक्रम में गर्भवती महिलाओं को मूलभूत प्रसव पूर्व जांच एवं उपचार की सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) प्रारम्भ किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) का मुख्य उददेश्य नि:शुक्ल स्वास्थ्य सेवाओं को सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुँचाना और उन्हें सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करना है। प्रत्येक ब्लाक स्तर पर माह की 09 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक संचालित की जायेगी, जिसमें द्वितिय व तृतीय त्रैमास की गर्भावस्था वाली महिलाओं को न्यूनतम एक जांच चिकित्सक द्वारा प्रदान की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रदेश के प्रत्येक सप्ताह बुधवार एवं शनिवार को वी0एच0एन0डी0 सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में ए0एन0एम0 आंगनबाडी व आशा के सहयोग से सभी गर्भवती महिलाओं को मूलभूत प्रसव पूर्व जांचे एवं उपचार तथा परामर्श की सेवायें प्रदान करती है।

(1) **वी0एच0एन0डी0 सत्र पर एच0आर0पी0 का चिन्हीकरण :-**

वी0एच0एन0डी0 सत्र पर सभी गर्भवती महिलाओं की निम्नानुसार आवश्यक जाचें की जायेंगी :-

- वजन एवं ब्लड प्रेशर की जांच
- हीमोग्लोबिन की जॉच
- यूरीस्टिक्स द्वारा पेशाब में एल्ब्यूमिन व शुगर की जांच
- सभी गर्भवती महिलाओं की पेट (गर्भ) की जांच
- सभी महिलाओं के मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड व आर0सी0एच0 रजिस्टर में सूचना भरी जायेंगी।
- जिन महिलाओं में किसी खतरे का चिन्ह पाया जाये अथवा गम्भीर एनीमिया से ग्रसित हो के कार्ड पर लाल बिन्दी/HRP सील लगाते हुए उनको आगामी माह की 09 तारीख को ब्लाक चिकित्सालय (सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) अथवा जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालयों पर संदर्भित किया जाये।
- ए0एन0एम0 HRP (जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं) की लाइन लिस्टिंग व फालोअप के लिए निर्धारित प्रारूप पर पृथक से एक रजिस्टर तैयार करेंगी।
- प्रत्येक माह की 05 तारीख एक ए0एन0एम0 द्वारा संदर्भित HRP की सूचना ब्लाक स्तरीय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
- ए0एन0एम0 सभी गर्भवती महिलाओं को परामर्श देगी कि वे ब्लाक स्तरीय चिकित्सालय पर द्वितिय व तृतीय त्रैमास में चिकित्सक के द्वारा एक जांच अवश्य करा लें।

(2) **ब्लाक स्तरीय प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक का आयोजन :-**

प्रत्येक ब्लाक स्तरीय चिकित्सालय एवं अरबन पी0एच0सी0/सी0एच0सी0 पर प्रत्येक माह की 09 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक का आयोजन किया जायेगा जिसमें सभी संदर्भित HRP (जटिलता वाली गर्भवती महिलाओं) एवं नियमित रूप से आने वाली गर्भवती महिलाओं की जांच क्लीनिक पर उपलब्ध एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक द्वारा की जायेगी। इस क्लीनिक में संदर्भित गर्भवती महिलाओं की निम्न जांचे आवश्यक रूप से की जायेगी :-

- वजन एवं ब्लड प्रेशर की जांच

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- हीमोग्लोबिन की साहली विधि द्वारा जॉच
- ब्लड शुगर की जांच
- सभी गर्भवती महिलाओं की पेट (गर्भ) की जांच
- जटिलता का आंकलन, सम्बन्धित जांचे व उपचार
- सभी महिलाओं के मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड व आर0सी0एच0 रजिस्टर में सूचना भरी जायेगी।
- जिन महिलाओं में अति गंभीर जटिलता व तत्काल उपचार की आवश्यकता हो उन्हें निकटस्थ क्रियाशील सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0 अथवा जिला अस्पताल पर स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा निदान एवं उपचार हेतु संदर्भित कर दिया जाये एवं अन्य लाभार्थियों को आवश्यकतानुसार।
- इंजेक्शन आयरन सुक्रोज प्रत्येक ब्लाक पर उपलब्ध कराया जाये एवं इससे लाभार्थियों को आवश्यकतानुसार उपचारित किया जाय।
- प्रत्येक माह संचालित ब्लाक स्तरीय प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक पर गर्भवती महिलाओं के संदर्भन हेतु एक 102 एम्बूलेंस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।

(3) **चिन्हित एफ०आर०यू० पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक का आयोजनः-**

वर्तमान में प्रदेश के एफ0आर0यू0 को क्रियाशील किये जाने के लिए शासनादेश संख्या-26/2016/297/पांच-9-2016-9(127)/12टी0सी0 दिनांक 06-04-2016 के माध्यम से SBRT योजना लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत सभी चिन्हित एफ0आर0यू0 पर सप्ताह में 02 दिन HRP क्लीनिक का आयोजन किया जाना है। जनपद स्तर पर उपलब्ध नियमित या संविदा LMO व विशेषज्ञ चिकित्सको द्वारा SBRT दल के गठन में सहयोग दिया जायेगा। उपर्युक्त 02 दिनों में यदि दिनांक 09 आती है तो यह SBRT दल उस दिन प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक (PMSMC) का भी संचालन करेगा। अन्यथा यह दल 09 तारीख को पृथक से PMSMC का आयोजन करेगा। इस दिवस पर प्रत्येक माह द्वितिय एवं तृतीय त्रैमास की सन्दर्भित HRP की विस्तृत जांचे कर उन्हें निःशुक्ल उपचार प्रदान किया जायेगा। सभी HRPs की सुरक्षित प्रसव योजना भी बनायी जायेगी जिससे पूर्व से चिन्हित जटिल गर्भावस्था वाली गर्भवती महिलाओं को ससमय नियोजित रूप से उपचार उपलब्ध कराया जा सके। उपर्युक्त शासनादेश में एक तालिका भी संलग्न कर प्रेषित की गयी है, जिसमें HRP के चिन्हीकरण के लिए जानकारी प्रदर्शित है।

इस प्रकार सभी चिन्हित एफ0आर0यू0 पर प्रत्येक माह की 09 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक (PMSMC) का आयोजन कर सन्दर्भित अति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

गम्भीर एवं जटिल गर्भावस्था वाली गर्भवती महिलाओं की सम्पूर्ण आवश्यक जॉचें व चिकित्सकीय प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

चिन्हित एफ0आर0यू0 पर ब्लाक स्तरीय प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक पर निम्न जॉचें उपलब्ध करायी जायेंगी :-

- हीमोग्लोबिन
- यूरीन (एल्ब्यूमिन व शुगर) की
- आर0एच0/ए0बी0ओ0 टेस्ट
- डब्ल्यू0आर0/वी0डी0आर0एल0 टेस्ट
- हेपेटाइटिस-बी0 टेस्ट
- एच0आई0वी0 रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट
- ब्लड ग्लोकोज फास्टिंग व पी0पी0
- जिला चिकित्सालयों एवं क्रियाशील एफ0आर0यू0 पर यथा सम्भव अल्ट्रासाउण्ड की जांच

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान हेतु की जाने वाली गतिविधियॉ :-

(1) **जनपद स्तर पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संचालन हेतु समिति का गठन**

जिला स्तर पर इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए एक कमेटी बनायी जायेगी जिसके अध्यक्ष मुख्य चिकितसाधिकारी होगे। इस कार्यक्रम के संचालन के लिए अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, आर0सी0एच0 नोडल होगे। जनपद में सहयोग प्रदान कर रही स्वयं सेवी संस्थायें Fogsi/IMA व अन्य सहयोगी संस्थाओं के अध्यक्ष इस समिति के सदस्य होगे। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका व प्रभारी अधिकारी एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0 भी सदस्य हो सकते है।

- यह समिति ए0एन0एम0/आशा तक इस कार्यक्रम की जानकारी पहुॅचाने हेतु कार्य करेगी एवं सभी ब्लाक प्रभारियों व सम्बन्धित अधिकारियों के साथ-साथ आई0सी0डी0एस0 व पंचायती राज विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी पहुॅचाने हेतु आवश्यक रणनीति बनायेगी।
- यह समिति जनपद स्तर पर सभी एफ0आर0यू0 पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक के संचालन के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों का रोस्टर भी बनायेगी एवं क्रियान्वयन के लिए समन्वय भी स्थापित करेगी।

(2) मुख्य चिकित्साधिकारी व नोडल अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि सभी वी0एच0एन0डी0 एवं ब्लाक स्तरीय इकाइयों तक औषधियों की निर्बाध नि:शुक्ल उपलब्धता सुनिश्चित करे एवं चिकित्सा इकाईयों पर लेबोरेटरी को भी उच्चीकृत कर सभी आवश्यक जांचे उपलब्ध करायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) **प्रचार व प्रसार** - जनपद स्तर पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एवं
क्लीनिक कार्यक्रम के विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना
अधिकारी को नोडल नामित किया जाये। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए गॉव-
गॉव तक सूचना पहुँचाना आवश्यक है, जिसके लिए सरल सुपठनीय भाषा में
आवश्यक सन्देश हैण्डबिल अथवा पैम्फलेट तैयार किये जायें जिनको आशा,
ए0एन0एम0 के माध्यम से जन सामान्य तक पहुँचाया जाये। ब्लाक स्तरीय
चिकित्सा इकाइयों पर दीवार लेखन कराया जाय।

(4) **वित्तीय व्यवस्था** - इस कार्यक्रम के लिए जननी सुरक्षा योजना एवं जननी
शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों का उपयोग किया जाय।

(5) **मॉनिटरिंग व्यवस्था** - प्रत्येक जनपद में इस योजना के नोडल अधिकारी
दिनांक 9 की गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए भ्रमण योजना तैयार करेंगे।
मण्डल एवं जनपद स्तर के अधिकारी न्यूनतम 3-4 ब्लॉकों का भ्रमण करेंगे व वहॉ
पर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक की व्यवस्थाओं व प्रदान की जा रही
सेवाओं की मॉनिटरिंग रिपोर्ट जिला नोडल व मुख्य चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत
करेंगे। प्रथम 3 माहों में राज्य स्तर से भी चयनित जनपदों में मॉनिटर्स भेजे
जायेंगे।

(6) **रिपोर्टिंग व्यवस्था** -

- आशा के स्तर पर एक एच0आर0पी0 रजिस्टर व्यवस्थित किया
जायेगा जिसका प्रारूप-1 (संलग्नक-1) संलग्न है। इस रजिस्टर पर
आशा प्रत्येक माह वी0एच0एन0डी0 में चिन्हित एच0आर0पी0 की
सूचना अंकित करेंगी। चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भवती
महिलाओं को आशा प्रत्येक माह की 9 तारीख को आयोजित होने
वाले ब्लॉक स्तरीय प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक के विषय में
सूचना देगी और प्रत्येक माह उनका चेकअप भी सुनिश्चित करेगी।
आशा का उत्तरदायित्व प्रत्येक एच0आर0पी0 को सुरक्षित संस्थागत
प्रसव होने तक ट्रैक करना एवं प्रसव सम्बन्धी सभी सूचनायें
एम0सी0टी0एस0 में अंकित करवाना होगा।
- ए0एन0एम0 के स्तर पर भी 1 एच0आर0पी0 रजिस्टर व्यवस्थित
किया जायेगा जिसका प्रारूप-2 (संलग्नक-2) संलग्न है। इस रजिस्टर
पर ए0एन0एम0 प्रत्येक माह आयोजित होने वाली सभी
वी0एच0एन0डी0 में चिन्हित एच0आर0पी0 की सूचना ग्रामवार
अंकित करेंगी। चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को
प्रत्येक माह की 9 तारीख को आयोजित होने वाले ब्लॉक स्तरीय
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक के विषय में सूचना देगी और

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भविष्य में प्रत्येक माह वी0एच0एन0डी0 में उनकी नियमित जॉच व फालोअप भी सुनिश्चित करेगी व जानकारी रिकार्ड करेगी। ए0एन0एम0 का उत्तरदायित्व प्रत्येक एच0आर0पी0 को आशा सहायतित सुरक्षित संस्थागत प्रसव होने तक ट्रैक करना एवं प्रसव सम्बन्धी सभी सूचनायें एम0सी0टी0एस0 पोर्टल पर अंकित करवाना होगा।

- ब्लाक स्तरीय प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक की गतिविधियों व उपलब्धियों का विवरण संलग्न प्रारूप-3 (संलग्नक-3) पर अंकित किया जायेगा। यह प्रयास किया जाना चाहिए कि वी0एच0एन0डी0 में चिन्हित सभी एच0आर0पी0 की प्रतिमाह 9 तारीख को जॉच, उपचार तथा संस्थागत प्रसव योजना तैयार की जाय। इस प्रारूप की एक प्रति प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य ही मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाय।
- क्रियाशील सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0 एवं जिला स्तरीय चिकित्सालयों पर भी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक का आयोजन किया जायेगा जिसकी सूचना संलग्न प्रारूप-4 (संलग्नक-4) पर अंकित कर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य ही मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
- जनपद स्तर से राज्य स्तर को प्रारूप-5 पर सूचना दिनांक 22 तक ई-मेल mchjsy@gmail.com पर अवश्य प्रेषित कर दी जाय।

यदि प्रदेश की प्रत्येक गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच लिया जाय एवं चिन्हित अधिक जोखिम वाली गर्भवती महिला को सुरक्षित संस्थागत प्रसव हेतु प्रथम सन्दर्भन इकाइयों पर सन्दर्भित कर सुरक्षित प्रसव की सुविधा उपलब्ध करा दी जाय तो निश्चित ही यह मातृ मृत्यु दर को कम करने में मील का पत्थर सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण कदम है, यह सम्पोषणीय विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अत्यन्त आवश्यक है। इस अभियान की सफलता हेतु प्रत्येक स्तर पर समग्र प्रयास सुनिश्चित किये जाय।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:- 30/2016 / 634/पांच-9-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,एस0पी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ ।

2- महानिदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थय उ0प्र0।

3- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

4- समस्त मंडलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0।

5- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

6- महानिदेशक, परिवार कल्याण उ0प्र0।

7- महाप्रबन्धक, मातृ स्वास्थ्य, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि दिशा-निर्देश सभी सम्बन्धित को एस0पी0एम0यू0 स्तर से भी प्रेषित कराने तथा एन0एच0एम0 की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

8- समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।

9- समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

HRP tracking Register

S. No.	Name of PW	MCTS No.	Date of Registration	Bank Acount No.	LMP	EDD	Hb %	BP	Para	HRP Factor*	Referral Y/N	HRP clinic where referred	Govt/pt	Date of delivery	Type of delivery**	Place of Delivery	Condition of mother	Baby - Alive/dead/referred	Name of ASHA responsible
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			

*

1	High BP
2	Severe Anaemia
3	Previous dead baby born
4	2 or more abortion
5	Previous LSCS
6	Mentally retarded child or abnormal child born
7	Previous baby with birth defects
8	Gestational Diabetes
9	heart disease
10	Thyroid disease
11	others

**

1	ND
2	Assisted
3	Planned LSCS
4	Emergency LSCS

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप–1

आशा के क्षेत्र में चिन्हित की गयी उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की लाइन लिस्टिंग

माह	आशा का नाम				ब्लॉक........................				उपकेन्द्र			गाँव........................				
क्र0 सं0	पंजीकरण की तिथि	एम0सी0टी0एस0 नं0	बैंक खाता संख्या	गर्भवती महिला का नाम	आयु	पति का नाम	अन्तिम मासिक धर्म की तिथि	अनुमानित प्रसव की तिथि	एच0आर0पी0 (हाँ या नहीं)	सन्दर्भन इकाई पर भ्रमण का दिनांक	प्रसव का प्रकार / अन्तिम परिणाम (सामान्य असिस्टेड ऑपरेशन)	प्रसव का दिनांक	प्रसव का स्थान सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल या घर पर	गर्भवती महिला की स्थिति	बच्चा– जीवित / मृत / सन्दर्भित	

खतरे वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या	खतरे वाली गर्भवती महिलाएं जिनका संस्थागत प्रसव हुआ	खतरे वाली गर्भवती महिलाएं जिनका सरकारी चिकित्सालय में प्रसव हुआ	खतरे वाली गर्भवती महिलाएं जिनका गैर सरकारी चिकित्सालय में प्रसव हुआ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

एoएनoएमo द्वारा चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की लाइन लिस्टिंग

माह .... एoएनoएमo .... ब्लाक................

क0सं0	पंजीकरण का दिनांक	एम0सी0टी0 एस0 न0	गर्भवती महिला का नाम	आयु	पति का नाम	गाँव	बैंक खाता संख्या	अन्तिम मासिक धर्म की तिथि	अनुमानित प्रसव की तिथि	पैरा	हीमोग्लोबिन	ब्लड प्रेशर	एच0आर0पी0 फैक्टर (1,2,3,4,5,6, 7,8,9, 10)	एच0आर0पी0 क्लीनिक जहाँ सन्दर्भन किया गया हो	प्रसव पूर्व सम्पूर्ण जाँचे (टी0टी0/ आई0एफ0ए0 /3 ए0एन0सी0. हाँ/नहीं	प्रसव का दिनांक	प्रसव का प्रकार (सामान्य/ असिस्टेड /सीजेरियन प्रसव)	प्रसव का स्थान	प्रसवोपरान्त गर्भवती महिला की स्थिति (स्वस्थ/ अस्वस्थ/ मृत)	बच्चा– जीवित/मृत/सन्दर्भित	उत्तरदायी आशा का नाम
1																					
2																					

चिन्हित एवं सन्दर्भित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या	ब्लॉक फैसिलिटी पर जाँच हेतु गयी उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या	चिन्हित उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाएं जिनका संस्थागत प्रसव हुआ	खतरे वाली गर्भवती महिलाएं जिनका सरकारी चिकित्सालय में प्रसव हुआ	खतरे वाली गर्भ[illegible] महिलाएं जिनका सरकारी चिकित्सालय प्रसव हुआ

1	High BP
2	Severe Anaemia
3	Previous dead baby born
4	2 or more abortion
5	Previous LSCS
6	Mentally retarded child or abnormal child bor
7	Previous baby with birth defects
8	Gestational Diabetes
9	heart disease
10	Thyroid disease

**

1	ND
2	Assisted
3	Planned LSCS
4	Emergency LSCS

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

FRU CHC, DWH & DCH HRP tracking Register

S. No.	Name of PW	MCTS No.	Refered from	Date of 1st chechup at HRP clinic	LMP	EDD	Para	Investigations done	Treatment given in 1st visit	HRP Factor *	Referred to if necessary	Follow up visit 1	Treatment given in 1st follow up	Follow up visit 2	Treatment given in 2nd follow up	Follow up visit 3	Treatment given in 3rd follow up	Follow up visit 4	Treatment given in 4th follow up	Safe birth plan	Final outcome	Remarks if any
1																						
2																						
3																						
4																						

*

1		High BP
2		Severe Anaemia
3		Previous dead baby born
4		2 or more abortion
5		Previous LSCS
6		Mentally retarded child or abnormal child born
7		Previous baby with birth defects
8		Gestational Diabetes
9		heart disease
10		Thyroid disease
11		others

**	1	ND			
	2	Assisted			
	3	Planned LSCS			
	4	Emergency LSCS			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ब्लॉक सी0एच0सी0 / पी0एच0सी0 पर उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं (एच0आर0पी0) का उपचार रजिस्टर

क्र0सं0	गर्भवती महिला का नाम	एम0सी0टी0 एस0 नं0	एच0आर0 पी0 क्लीनिक पर जाँच का दिनांक	एच0आर0 पी0 गर्भवती महिलाओं के चेकअप की संख्या (1,2,3,4 या >4)	अन्तिम मासिक धर्म की तिथि	अनुमानित प्रसव की तिथि	पैरा	ब्लड प्रेशर	हीमोग्लोबिन	ब्लड शुगर	परामर्श दिया गया (हाँ / नहीं)	चिन्हित एच0आर0पी0 फैक्टर (1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10)	आवश्यक सन्दर्भन का सीन	सुरक्षित जन्म योजना (स्थान एवं प्रसव का प्रकार)	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
1															
2															

*

1	High BP
2	Severe Anaemia
3	Previous dead baby born
4	2 or more abortion
5	Previous LSCS
6	Mentally retarded child or abnormal child born
7	Previous baby with birth defects
8	Gestational Diabetes
9	heart disease
10	Thyroid disease
11	others

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप–4

क्रियाशील सी0एच0सी0 एफ0आर0यू0 एवं जिला महिला/संयुक्त चिकित्सालय पर उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं (एच0आर0पी0) का उपचार रजिस्टर

क्र0सं0	गर्भवती महिला का नाम	एम0सी0टी0 एस0 न0	स्थान सन्दर्भित	एच0आर0पी0 क्लीनिक पर जॉच की दिनांक	उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के भ्रमण की सख्या (1,2,3,4 या >4)	अन्तिम मासिक धर्म की तिथि	अनुमानित प्रसव की तिथि	पैरा	ब्लड प्रेशर	हीमोग्लोबिन	तापमान	हृदय गति	एच0आई0वी0/सिफलिस जॉच	ब्लड शुगर	परामर्श दिया गया (हॉ/नहीं)	चिन्हित एच0आर0पी0 फैक्टर (1,2,3,4,5,6,7,8, 9, 10)	आवश्यकतानुसार सन्दर्भन	सुरक्षित जन्म की योजना	अन्तिम परिणाम	टिप्पणी
1																				
2																				
3																				

*

1		High BP
2		Severe Anaemia
3		Previous dead baby born
4		2 or more abortion
5		Previous LSCS
6		Mentally retarded child or abnormal child born
7		Previous baby with birth defects
8		Gestational Diabetes
9		heart disease
10		Thyroid disease
11		others

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रारूप - 5

Monthly Reporting Format - ANC

State: **District:** **Facility:**

Month & Year: **Date of Reporting:** **Reported By:**

S.No.	Data elements	Numbers in Reporting month
1	Number of pregnant women receiving Antenatal care during a month at facility	
2	Number of pregnant women whose gestational age was established during ANC visit	
3	Number of pregnant women who had their Blood pressure recorded during ANC visit	
4	Number of pregnant women who had their temperature recorded during ANC visit	
5	Number of pregnant women who had Foetal Heart Rate recorded during ANC visit	
6	Number of pregnant women whose are tested for HIV during ANC visit	
7	Number of pregnant women who have been screened for Gestational Diabetes mellitus	
8	Number of pregnant women who are tested for syphilis	
10	Number of pregnant women who have been distributed IFA during ANC visit	
11	Number of pregnant women who have been prescribed Calcium supplementation during ANC visit	
12	Number of pregnant women who have received/completed Tetanus Toxoid dose during ANC visit	
13	Number of pregnant women who have ben counselled on Birth Preparedness and complication readiness	
14	Number of pregnant women who have been counselled on post-partum family planning	
15	Number of pregnant women who have history/present with any complications in current pregnancy	